In the court of RAKESH BHIDE Judicial Magistrate FIRST Class KASRAWAD
Case No. 685/2022 Complaint or report made on 03-05-2021
Name and address of the complainant .....आरक्षी केन्द्र कसरावद

Name, Parentage, caste and address of accussed

1- चेनसिंह पिता कल्तुसिंह राजपुत उम्र-36वर्ष
निवासी आहमठागांव थाना कसरावद

The office complained of and date of its alleged commission

आप अभियुक्त ने दिनांक 03-05-21 को समय 4:23 बजे स्थान ग्राम आहमठागांव पर कलेक्टर खरगोन के द्वारा जारी आदेश कमांक 5957/ सा.ले./2021 खरगोन दिनांक 25.04.2021 के द्वारा कोरानो संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण गॉव/शहर को लॉकडाउन किया जाकर घर से बाहर नही निकलने एवं मास्क लगाने हेतु आदेश की अवज्ञा कर तुम अभियुक्त ने देश में फैली कोरोना महामारी के संबंध में जानते हुए जान बुझकर अपने घर से बिना कारण के बिना मास्क लगाये हुए लाकडाउन का उल्लंघन करते हुए मानव जीवन, स्वास्थ्य व क्षेम को संकट कारित किया।

इस प्रकार तुमने वह अपराध कारित किया जो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है।

अत: प्रकट करो कि तुम्हे अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो?

(राकेश भिडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The Plea of the accussed and his examination (If any)
अपराध स्वीकार है

(राकेश भिडे)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

The office proved if any and in case under clause (d), clause (e), clause (f) or clause (g) or subsection 260, the value of the propertu of which the offence has been committed.

// निर्णय //

(आज दिनांक 11/10/22 का घोषित)

1 आरक्षी केन्द्र कसरावद की ओर से अभियुक्त चैनसिंह पिता फागुसिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2 अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध की विशिष्टियां पढकर सुनाई समझाई गई, जिसे अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक स्वीकार किया। अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति को यह न्यायालय अन्यथा प्रभाव से मुक्त पाता है और अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

3. अभियुक्त का उक्त कृत्य लोकनीति के विरूद्ध होने से उसकी प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 4 का लाभ दिया जाना उचित प्रतित नही होता है। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 में रूपये 200 अक्षयरी दौ सौ रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे 05 दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावे।

4. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नही है।

निर्णय न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

11/10/22

(राकेश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद

मेरे निर्देशानुसार टंकित।

11/10/22

(राकेश सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कसरावद